FORM No. III APP-A

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

हिम्मतसिंह बनाम प्रेमकंवर

मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं....48.....सन्..2018

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	24.05.2018	
	प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण ने जरिये विद्वान अधिवक्ता उक्त प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिये हमें एक पक्षीय सुना जावें। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर मोजुद रेकर्ड एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है इसलिए **आगामी पेशी तक बहक उभयपक्षकारान** के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित अंतरिम आदेश इस आश्य का जारी किया जाता है की मौजा भेड़ के विवादग्रस्त खेत ख.न. 17 रकबा 186.15 बीघा, ख.न. 588 रकबा 31.01 बीघा, ख.न. 378 रकबा 11.13 बीघा, ख.न. 1517/379 रकबा 03.03 बीघा, ख.न. 1519/381 रकबा 00.15 बीघा, ख.न. 218 रकबा 26.14 बीघा में प्रार्थी के हिस्से हक की आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण की प्रकार की दखलदांजी नहीं करे। तथा प्रार्थी के हक हिस्से आराजी बैचान नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे । इस हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, **उपरोक्त अंतरिम आदेश आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगा।** अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावें अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 16.07.2018 पेश हो । सहायक कलक्ट्रर खींवसर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से 3 दिवस में भेजने के लिए जारी हो। पत्रावली तलबी हेतु दिनांक 21/9/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर
21/9/22	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] प्रशिक्षण/में हैं/ [illegible] अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली [illegible] दिनांक को 7/12/22 को पेश हो।
7/12/22	पत्रावली पेश। [illegible] उप०। वादी-परिवादी को न्यायालय में बार-बार आवाज देने के पश्चात भी हाजिर नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वकीलवादी ने निवेदन कर बताया कि अब वे इस प्रकरण में पैरवी नहीं करना चाहता है तथा पत्रावली को खारिज करवाना चाहता हूं। अतः वकीलवादी के निवेदन पर उक्त प्रकरण को अदम पैरवी-अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। वादी के निवेदन पर पत्रावली को पुनः Restore या Reopen किया जा सकता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर